

हरियाणा सरकार  
श्रम विभाग  
अधिसूचना  
दिनांक 01 अप्रैल, 2019

संख्या. 6/11/2019-1श्रम.- कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63) की 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा इस निमित्त पहले जारी की गई सभी अन्य अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित निरीक्षकों की स्थानीय सीमाओं का निर्धारण करते हैं, जो अपनी सम्बन्धित तैनाती की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे:-

क्रम सं०	पदनाम	स्थानीय सीमाएं
1	उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, रोहतक	ज़िला रोहतक, सोनीपत एवं झज्जर
2	उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, पानीपत	ज़िला पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र एवं कैथल
3	उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, अम्बाला	ज़िला अम्बाला, पंचकूला, एवं यमुनानगर
4	उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, फरीदाबाद	ज़िला फरीदाबाद एवं पलवल
5	उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हिसार	ज़िला हिसार, चरखी दादसी, भिवानी, सिरसा फतेहाबाद एवं जीन्द
6	उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, गुरुग्राम-1	सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य गुरुग्राम 1 एवं 2 के अधिकार क्षेत्र
7	उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, गुरुग्राम-2	सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, गुरुग्राम 3 एवं रिवाड़ी के अधिकार क्षेत्र

डॉ० महावीर सिंह  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार  
श्रम विभाग

**HARYANA GOVERNMENT  
LABOUR DEPARTMENT  
NOTIFICATION**

**The 1<sup>st</sup> April, 2019**

**No. 6/11/2019-1Lab.-** In exercise of the powers conferred by Sub-section (I) of Section 8 of the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948) and in supersession of previous notifications issued in this behalf, the Governor of Haryana assigns local limits to the following inspectors who shall exercise their powers within local limit of their respective place of posting for the purpose of the said Act:-

<b>Sr. No.</b>	<b>Designation of Post</b>	<b>Local Limits</b>
1	Deputy Director, Industrial Safety & Health, Rohtak	Districts Rohtak, Sonapat and Jhajjar
2	Deputy Director, Industrial Safety & Health, Panipat	Districts Panipat, Karnal, Kurukshetra and Kaithal
3	Deputy Director, Industrial Safety & Health, Ambala	Districts Ambala, Panchkula and Yamunanagar
4	Deputy Director, Industrial Safety & Health, Faridabad	Districts Faridabad and Palwal
5	Deputy Director, Industrial Safety & Health, Hisar	Districts Hisar, Charkhi Dadri, Bhiwani Sirsa, Fatehabad and Jind
6	Deputy Director, Industrial Safety & Health, Gurugram-1	Jurisdiction of Assistant Director, Industrial Safety & Health, Gurugram-1 & 2
7	Deputy Director, Industrial Safety & Health, Gurugram-2	Jurisdiction of Assistant Director, Industrial Safety & Health, Gurugram-3 & Rewari

**DR. MAHAVIR SINGH**  
Principal Secretary to Government, Haryana  
Labour Department